

Cyber-Crime & Financial-Fraud Complaint + Chargeback Pack

दस्तावेज प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 13 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

साइबर-अपराध या ऑनलाइन वित्तीय-धोखाधड़ी की मजबूत शिकायत — संरचित साक्ष्य-डोज़ियर (लेनदेन-श्रृंखला, स्क्रीनशॉट, संवाद), National Cyber Crime Reporting Portal व 1930-हेल्पलाइन शिकायत, और बैंक/NPCI विवाद/chargeback अनुवर्ती — फ्रीज़ व वसूली की संभावना बढ़ाने हेतु यह टूल तैयार करता है। तेज़ रिपोर्टिंग निर्णायक : धोखाधड़ी के पहले घंटे पैसा फ्रीज़ कराने का सर्वोत्तम अवसर है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

कालक्रमानुसार साक्ष्य-डोज़ियर व सुगठित शिकायत तथा बैंक/NPCI chargeback व escalation तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

साक्ष्य-डोज़ियर व तैयार शिकायत का उपयोग तुरंत cybercrime.gov.in व 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करने, बैंक/NPCI विवाद व chargeback उठाने, और पैसा फ्रीज़/वापस न होने पर escalation-सीढ़ी चढ़ने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

National Cyber Crime Reporting Portal व 1930 हेल्पलाइन ; आपका बैंक व NPCI/लाभार्थी बैंक ; और escalation पर RBI बैंकिंग लोकपाल।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें व यथाशीघ्र 1930 पर कॉल करें, लेनदेन-श्रृंखला व साक्ष्य सहित बैंक विवाद/chargeback जमा करें, और अनसुलझा रहने पर लोकपाल escalation दाखिल करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

बड़े नुकसान या विवादित chargeback हेतु साइबर-कानून वकील ; सामान्य धोखाधड़ी-रिपोर्ट में पेशेवर से अधिक गति आवश्यक।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

पहले घंटे पैसा फ्रीज़ कराने का सर्वोत्तम अवसर है, अतः तुरंत रिपोर्ट करें; RBI सीमित-देयता नियम शीघ्र रिपोर्ट करने वाले ग्राहक की रक्षा करते हैं। यह सहायता है, कानूनी सलाह नहीं।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।